न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 132/2023 राजस्व वाद दायर दिनांक 29.9.2022

1– श्री सुवालाल पिता जगन्नाथ जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
—— वादी

बनाम

1– श्री मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री कन्हैयालाल उर्फ काना पिता नारायण जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–
श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता–वादी
प्रतिवादी संख्या 01 से 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक– 26.03.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी सं0 1 से 2 के विरूद्व प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू. अ.नि. दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 814 में आराजी नम्बर 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर, आराजी संख्या 686 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी संख्या 687/3 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.0243 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वर्ष 2020 में वादी आवश्यक कार्यवश बाहर चला गया था। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने मेरी खातेदारी की उक्त आराजी नं0 685/4 के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर लिया। में बाहर से वापस आया तो मुझे इस हालात की जानकारी हुई तो मैने मेरी उक्त आराजियात नं0 685/4, 686/3 व 687/3 की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 242/2020 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी भीलवाडा के न्यायालय में पेश किया था जिसमें दिनांक 07.07.2021 को पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार सा0(भू0अ0) भीलवाडा ने दिनांक 14.03.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक दांथल को पत्र लिखकर वादी की उक्त आराजियात किता 03 रकबा 1.0243 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जिस पर दिनांक 14.07.2022 को भू0अ0नि0 दांथल मौके पर पत्थरगढी करने हेतु आये और उन्होने मुस्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर मौके पर पत्थरगढी की जिसका पर्चा मौका मौतबीरान की उपस्थिति में बनाया गया जेसकी अनुसार वादी की खातेदारी आराजी नं0 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर के उत्तरी पूर्वी दिशा में करीब 0.3794 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 काना उर्फ कन्हैयालाल जाट ने तथा पश्चिम मेड पर करीब 0.0504 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 मथूरा जाट का नाजायज कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण को मेरी उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने का कोई अधिकार नही है जिससे बेदखली आराजी की डिक्री मुझ वादी के पक्ष में पारित करायी जाकर मेरी आराजी नं0

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर के उत्तरी पूर्वी दिशा में करीब 0.3794 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है वह नाजायज कब्जा हटाया जाकर मुझ वादी का पुनः आधिपत्य कराया जावे और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वे भविष्य में मुझ वादी के अधिकार आधिपत्य की इस आराजी नं0 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर के किसी भी भाग पर से मुझ वादी को न तो बेदखल करे न इस भूमि पर कोई अतिक्रमण करे। डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 02 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपोहली की आराजी संख्या 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर में से पूर्वी दिशा में करीब 0.3794 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 काना उर्फ कन्हैयालाल जाट ने तथा पश्चिम मेड पर करीब 0.0504 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 मथूरा जाट को बेदखल करते हुए कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वादी का वाद पत्र पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी के बयान कलमबद्व कराये गये दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी की ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू.अ.नि. दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 814 में आराजी नम्बर 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर, आराजी संख्या 686 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी संख्या 687/3 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.0243 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी की आराजी संख्या 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर में से उत्तरी पूर्वी दिशा में करीब 0.3794 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 काना उर्फ कन्हैयालाल जाट ने तथा पश्चिम मेड पर करीब 0.0504 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 मथूरा जाट का नाजायज अनाधिकृत कब्जा है कब्जेयाबी की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 जारी कराई जावे।

:: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 इस प्रकार है ::

183 कतिपय अतिक्रमीयो की बेदखली :-

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में " बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील वादी की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादी के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 14.7.2022 के अनुसार ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 685/4 के उत्तर पूर्वी दिशा में करीब 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 02 काना पिता नारायण जाट निवासी रूपाहेली तथा पश्चिम मेड पर करीब 04 बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 01 मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने से वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 से लगायत 02 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपोहली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 685/4 रकबा 0.8599 हैक्टेयर में से उत्तर पूर्वी दिशा में करीब 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 02 काना पिता नारायण जाट निवासी रूपाहेली तथा पश्चिम मेड पर करीब 04 बिस्वा भूमि पर पडौसी प्रतिवादी संख्या 01 मथुरा पिता देबी जाट निवासी रूपाहेली का अनाधिकृत कब्जा पाया जाने से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 अतिक्रमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा